Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

147-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 21, 2025 (SRAVANA 30, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 21st August, 2025

No. 22-HLA of 2025/56/16182.— The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas Outside Municipal Area (Special Provisions) Amendment Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 22- HLA of 2025

THE HARYANA MANAGEMENT OF CIVIC AMENITIES AND INFRASTRUCTURE DEFICIENT AREAS OUTSIDE MUNICIPAL AREA (SPECIAL PROVISIONS) AMENDMENT BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas Outside Municipal Area (Special Provisions) Act, 2021.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas Outside Municipal Area (Special Provisions) Amendment Act, 2025.

Amendment of section 2 of Haryana Act 5 of 2022.

2. After clause (d) of section 2 of the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas Outside Municipal Area (Special Provisions) Act, 2021 (hereinafter called the principal Act), the following clauses shall be inserted, namely:-

'(da) "entrepreneur" shall have the same meaning as assigned to it in the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016 (6 of 2016);

(db) "enterprise" shall have the same meaning as assigned to it in the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016 (6 of 2016);'.

Insertion of section 6A in Haryana Act 5 of 2022.

3. After section 6 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"6A. Regularisation of unauthorized industrial establishment.- In case of regularisation of unauthorized industrial establishment, an online portal for receiving applications from entrepreneur/enterprise shall be created and all punitive action initiated against the applicant(s) shall be deemed to have been suspended from the date of submission of the application on the portal until the Government takes a final decision, except in cases forwarded to or pending before any court of law.

Explanation.- For the purposes of this section "unauthorized industrial establishment" means an establishment of industrial unit established without having requisite permission for setting up of such unit from competent authority under applicable Acts and the rules framed thereunder.".

Amendment of section 13 of Haryana Act 5 of 2022.

4. Clause (c) of section 13 shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas outside Municipal Area (Special provision) Act, 2021 was enacted with an objective to provide essential services in the civic amenities deficient areas situated outside the Municipal Areas of the State. The object of the said enactment was to improve the living conditions of the inhabitants of the State. Total 684 nos. of residential colonies (unauthorised) were considered for regularization.

The Hon'ble CM Haryana during the budget speech made an announcement for regularization of unauthorized industrial colonies. It has been stated that *"in the last ten year about 2145 unauthorised residential colonies have been regularized. Now, the time has come that we should pay attention to the unauthorised industrial colonies in the same way. Therefore, we have decided that if atleast 50 entrepreneurs, whose units are located on atleast 10 acres of contiguous land, collectively apply on a portal, then all such industrial units will be considered as legal industrial units by all department till the Government takes a final decision on the application of the group*".

Accordingly, in compliance of the above budget announcement Government wants to pay same attention to the unauthorized industrial establishments developed in the State, so that, the basic civic amenities and infrastructure could be provided to these establishments. On humanitarian ground, it is the primary objective of the State Government to provide minimum infrastructure to ensure the healthy environment in such areas. Therefore, in view of above, for providing basic infrastructure facilities to ensure healthy working environment, it is proposed that a Bill namely the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas Outside Municipal Area (Special Provisions) Amendment Bill, 2025 may be enacted.

Hence the bill.

NAYAB SINGH,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 21st August, 2025.

RAJIV PRASHAD,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या. 22 एच.एल.ए.

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 2025

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2021 को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) संशोधन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

2022 के हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2021 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(घक) "उद्यमी'' का वही अर्थ होगा, जो हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का 6) में इसे दिया गया है;

(घख) "उद्यम'' का वही अर्थ होगा, जो हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का 6) में इसे दिया गया है;'।

2022 के हरियाणा अधिनियम 5 में धारा 6क का रखा जाना।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"6क. अप्राधिकृत औद्योगिक स्थापना का नियमितीकरण.— अप्राधिकृत औद्योगिक स्थापना के नियमितीकरण के मामले में, उद्यमी/उद्यम से आवेदन प्राप्त करने हेतु आनॅलाइन पोर्टल बनाया जाएगा और आवेदक (आवेदकों) के विरूद्ध संस्थित की गई सभी दांडिक कार्रवाई, किसी विधि न्यायालय में अग्रेषित या लम्बित मामलों को छोड़कर, पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से लेकर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेने तक निलंबित समझी जाएगी।

व्याख्या:— इस धारा के प्रयोजनों हेतु "अप्राधिकृत औद्योगिक स्थापना'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक स्थापना की इकाई, जो लागू अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी से ऐसी इकाई को स्थापित करने हेतु अपेक्षित अनुमति प्राप्त किए बिना स्थापित की गई हो।''।

2022 के हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 13 का संशोधन।

4. धारा 13 के खण्ड (ग) का लोप कर दिया जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्र से बाहर नागरिक सुविधाओं और अवसंरचना की कमी वाले क्षेत्रों का प्रबंधन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2021 राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों से बाहर स्थित नागरिक सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना था। कुल 684 आवासीय कॉलोनियों (अनधिकृत) को नियमित करने पर विचार किया गया था।

हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों के नियमितीकरण की घोषणा की। इसमें कहा गया है कि "पिछले दस वर्षों में लगभग 2145 अनधिकृत आवासीय कॉलोनियों को नियमित किया गया है। अब समय आ गया है कि हम अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों पर भी इसी प्रकार ध्यान दें। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि यदि कम से कम 50 उद्यमी, जिनकी इकाइयाँ कम से कम 10 एकड़ सन्निहित भूमि पर स्थित हैं, सामूहिक रूप से एक पोर्टल पर आवेदन करते हैं, तो ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयों को सभी विभागों द्वारा तब तक वैध औद्योगिक इकाइयाँ माना जाएगा जब तक कि सरकार समूह के आवेदन पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेती।"।

तदानुसार, उपरोक्त बजट घोषणा के अनुपालन में सरकार राज्य में विकसित अनधिकृत औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी समान ध्यान देना चाहती है, ताकि इन प्रतिष्ठानों को बुनियादी नागरिक सुविधाएँ और बुनियादी ढाँचा प्रदान किया जा सके। मानवीय आधार पर, ऐसे क्षेत्रों में स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम बुनियादी ढाँचा प्रदान करना राज्य सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है। इसलिए, उपर्युक्त के मद्देनजर, स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए, यह प्रस्तावित है कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्र के बाहर नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों का प्रबंधन (विशेष प्रावधान) संशोधन विधेयक, 2025 नामक एक विधेयक अधिनियमित किया जा सकता है।

इसलिए यह विधेयक प्रस्तुत है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

———————————

चण्डीगढ़:
दिनांक 21 अगस्त, 2025.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

12056—H.V.S.—H.G.P., Pkl.